राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२७१३२

संख्याः ई०स०-2236/जी०एस०
दिनाँक : 20 सितम्बर,२००५

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक १७६८-६६/सम्बद्धता/२००५, दिनाँक २३.६.२००५ के संदर्भ मे मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १६७३ की धारा-३७ (२) के अधीन सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय, आर्यनगर, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम. पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनाँक १.७.२००५ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी हैः-

१- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१६ (६२)/२००२, दिनाँक २ जुलाई, २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

२- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १६७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगीं।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

१- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
२- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
३- प्रबन्धक, सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय, आर्यनगर, गोरखपुर।

(हरी चरन प्रकाश)
कुलाधिपति के विशेष सचिव